प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....
प्र. इ. रि. स. .....106/23..... दिनांक .....4/5/2023.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....81.....समय.....6:00 pm.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 03.05.2023.... समय 02.55 पीएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 05.04.2023 समय.....02.00 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 60 किलोमीटर .....
(ब) पता – तहसील कार्यालय भिनाय, जिला अजमेर। बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री देशराज जाट .....
(ब) पिता का नाम श्री सेवाराम .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 31 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ग्राम झबरकिया, पोस्ट निम्बेडा, पुलिस थाना भिनाय, जिला अजमेर .....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री रामस्वरूप जाट पुत्र स्व0 श्री अर्जुनराम उम्र 44 साल जाति जाट निवासी गांव डेगाना, पुलिस थाना डेगाना, जिला नागौर हाल पटवारी लीव रिजर्व तहसील कार्यालय भिनाय, जिला अजमेर
8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....2,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....2,000/– –रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :– रिश्वत मांगने की शिकायत। महोदय, निवेदन है कि मुझ प्रार्थी देशराज जाट के पिताजी स्व0 श्री सेवाराम व दादाजी स्व0 श्री कजोड़ जाट के नाम गांव झबरकिया तहसील भिनाय में स्थित जमीन की पुरानी नकलो की आवश्यकता होने से मैने तहसील कार्यालय भिनाय में दिनांक 18/19.03.23 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो तहसीलदार ने एल.आर. शाखा को मार्क कियां एल.आर. शाखा में कार्यरत श्री रामस्वरूप पटवारी से मैने दिनांक 04.04.23 को सम्पर्क किया तो उसने मेरे की तीन हजार रूपये नकले देने के रिश्त के रूप में मांगे। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कृपया कार्यवाही करें। दिनांक 05.04.23 एसडी देशराज 8890886780 प्रार्थी देशराज जाट निवासी गांव झबरकिया, तहसील भिनाय जिला अजमेर

कार्यवाही पुलिस ए.सी.बी. अजमेर

दिनांक 05.04.2023 समय 2.00 पी.एम.

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री देशराज पुत्र सेवाराम जाति जाट उम्र 31 साल निवासी ग्राम झबरकिया पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर को सम्बोधित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से दरियाफ्त की तो प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्य सही होना स्वीकार कर प्रार्थना पत्र स्वंय की लेखनी मे होकर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने बताया कि "मेरे पिताजी स्व. श्री सेवाराम व दादाजी स्व. श्री कजोड जाट के नाम गांव झबरकिया तहसील भिनाय में स्थित जमीन की पुरानी

नकलों की आवश्यकता होने से मैंने तहसील भिनाय में दिनांक 18/19.03.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो तहसीलदार जी एल.आर. शाखा को मार्क किया। एल. आर. शाखा में कार्यरत पटवारी श्री रामस्वरूप से मैंने दिनांक 04.04.2023 को सम्पर्क किया तो उसने मुझे नकले देने की एवज में रिश्वत के 3 हजार रूपये मांगे।" पूछने पर बताया कि मेरी रामस्वरूप पटवारी से किसी प्रकार का कोई उधार का लेन देन नही है और ना ही किसी प्रकार की रंजिश है। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत करवाया तो परिवादी ने बताया कि अभी 3–4 दिन की छुट्टियां हैं, सोमवार दिनांक 10.04.23 को मैं तहसील जाकर रामस्वरूप पटवारी से रिश्वत के संबंध में बातचीत कर सकता हूँ। मजमून रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाता हैं। दिनांक 10.04.23 को गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही होगी। कार्यालय के श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 को बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा एक दूसरे के मोबाईल नम्बर का आदान–प्रदान करवाया। परिवादी को दिनांक 10.04.23 को मोबाईल पर सम्पर्क करने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री देशराज जाट ने जरिये वाट्स–अप कॉल अवगत कराया कि आज पटवारी तहसील कार्यालय में उपस्थित है तथा वो मुझ से रिश्वत के संबंध में वार्ता कर लेगा। इस पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर भिनाय के लिये रवाना किया गया। बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 उपस्थित आया, वॉयस रिकार्डर पेश किया तथा बताया कि मैं भिनाय पहुँचकर परिवादी श्री देशराज से मिला। मैंने अपने पास से वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकालकर उसे चालू बंद होने की प्रक्रिया समझाकर रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय भिनाय के अन्दर रवाना किया तथा मैं तहसील कार्यालय के बाहर ही खडा रहा। थोडी देर बाद परिवादी देशराज वापस आया तथा मुझे रिकार्डर पेश किया, जिसे लेकर मैने बंद किया। परिवादी ने बताया कि रामस्वरूप पटवारी ने मेरी नकले देने की एवज में 3 हजार रूपये मांगे तथा 1 हजार रूपये मांग अभी ले लिये तथा शेष राशि 2000 रूपये दिनांक 13.04.2023 को सुबह 11 बजे लेकर बुलाया है। इस पर मैं निर्देशानुसार परिवादी को हिदायत मुनासिब कर फारिक कर उपस्थित आया हूँ। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया।

दिनांक 12.04.2023 परिवादी श्री देशराज उपस्थित कार्यालय आया। आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह श्री मनीष मनसावर, सूचना सहायक, व श्री हंसराज सवासिया, सूचना सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर को तलब कर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिचय देकर प्राप्त किया। कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की। परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट व दो सीडी तैयार की व मेमोरी कार्ड को एक कपड़े की थेली मे सील्ड किया। मन् निरीक्षक पुलिस को आकस्मिक अवकाश पर जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही से संबन्धित समस्त पत्रावली मय वॉयस रिकार्डर श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया।

दिनांक 13.04.2023 को श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स व श्रीमती रूचि उपाध्याय मकानि 321 मय फिनोफ्थलीन पाउडर के प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर भिनाय रोड बान्दनवाडा पहुँचे, जहां परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने रिश्वत राशि 2,000 रूपये पेश किये, जिस पर श्रीमती रूचि म.कानि. 321 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगानें की प्रक्रिया करवाई जाकर गवाह श्री हंसराज से परिवादी की तलाशी लिवाई गई तथा रिश्वत राशी 2,000 रुपये परिवादी श्री देशराज के पहनी पेंट की साईड की दायीं जेब में रखवाये गये। ट्रेपदल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने की हिदायत की गई। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की

गई। श्रीमती रूची उपाध्याय म.कानि. को मय फिनोफ्थलीन पाउडर मय गिलास के रवाना किया गया। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं परिवादी व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर तहसील कार्यालय भिनाय के पास पहुॅचे तथा परिवादी श्री देशराज मय वॉयस रिकार्डर रवाना किया परन्तु पटवारी द्वारा उस रिश्वत के संबंध में कोई वार्ता नही करने से कार्यवाही नही होने से श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान उपस्थित आये।

दिनांक 17.04.2023 को श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस ने मन निरीक्षक पुलिस को लिफाफे में सुरक्षित रखी गई रिश्वत राशि 2000 रूपये एवं वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड तथा अब तक की कार्यवाही का रनिंग नोट, फर्दे, परिवादी का प्रार्थना पत्र पुनः सुपुर्द किया गया।

दिनांक 03.05.23 को परिवादी श्री देशराज जाट ने जरिये दूरभाष बताया कि पटवारी श्री रामस्वरूप आज तहसील कार्यालय में मौजूद है तथा वह आज मेरे से पैसे ले लेगा। इस पर परिवादी को बान्दनवाड़ा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी में सुरक्षित रिश्वत राशि एवं वॉयस रिकार्डर को निकलवायी जाकर रिश्वत राशि 2000 रूपये खाकी लिफाफे सहित श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के पास रखवायी गयी तथा वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मीरा बेनीवाल, श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर, स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज सवासिया, श्री मनीष मनसावर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, प्राईवेट वाहन से एवं श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री युवराज सिंह हैड़ कानि0, श्री गोविन्द सहायक शर्मा कानि0, श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय रिश्वत राशि प्राईवेट वाहन के रवाना होकर बान्दनवाड़ा पहुॅचे, जहां परिवादी श्री देशराज उपस्थित मिला। श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक से लिफाफे में से रिश्वत राशि निकलवायी जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में कुछ शेष नही छोड़ते हुए रखवायी गई तथा परिवादी एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को मय वॉयस रिकार्डर परिवादी की मोटर साईकिल से भिनाय के लिए रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं श्री अतुल साहू अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पीछे–पीछे रवाना होकर तहसील ऑफिस भिनाय के पास पहुॅचे तथा परिवादी को श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने वॉयस रिकार्डर चालुकर सुपुर्द कर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

समय 02.55 पीएम पर परिवादी श्री देशराज जाट ने तहसील कार्यालय भिनाय के भू–अभिलेख निरीक्षक कक्ष के बाहर आकर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेन–देन का ईशारा किया, जिस पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस व हमराहीयान को ईशारा किया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान मनीष मनसावर, श्री हंसराज सवासिया को साथ लेकर तहसील कार्यालय में प्रेवश किया तो तहसील कार्यालय के बरामदे में परिवादी श्री देशराज व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 उपस्थित मिले। परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री देशराज ने भू–अभिलेख निरीक्षक कक्ष की ओर ईशारा कर बताया कि पटवारी श्री रामस्वरूप इसी कक्ष में कम्प्यूटर पर बैठे हुए है तथा मेरी नकले तैयार कर रहे हैं, जिन्होने अभी अभी मेरे से 2000 रूपये रिश्वत के मांग कर उनकी टेबल पर रखे हुए फोल्ड किये हुए सफेद कागज में रखवा दिये है। इस पर परिवादी को साथ लेकर भू–अभिलेख निरीक्षक कक्ष में प्रवेश किया गया, जहां पर प्रवेश द्वार के पास ही बांयी ओर लगी कम्प्यूटर टेबल कुर्सी पर एक व्यक्ति काली पेंट व केसरिया–हरा चेक शर्ट पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही पटवारी रामस्वरूप जी है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम

रामस्वरूप, पटवारी लीव रिजर्व तहसील कार्यालय भिनाय, जिला अजमेर होना बताया। श्री रामस्वरूप पटवारी को परिवादी से रिश्वत मांगने के संबंध में पूछा तो बताया कि "मैने इससे कोई रिश्वत नही मांगी, ना ली, मैं तो कम्प्यूटर पर इसी के खसरा मिलान कर नकले तैयार कर रहा था, इसने टेबल पर रख दिये हो तो मुझे पता नही हैं।" इस पर परिवादी ने बताया कि "पटवारी जी झूंठ बोल रहे है। मै अभी कुछ देर पहले इनके पास आया तो ये किसी अन्य व्यक्ति का काम कर रहे थे तो मैने कुछ देर इन्तजार करने के बाद पुनः इनसे मिला तो इन्होने कहा कि अभी मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारा काम करूंगा। जिस पर कुछ देर बाद इनके खाना खाने के पश्चात् मैं इनसे मिला तो इन्होने रिकार्ड देखकर मेरे से पूछकर कम्प्यूटर पर मेरी नकले तैयार करने लगे तथा कहा कि इसमे टाईम लगेगा तो मैने कहा कि मुझे शादी में जाना हैं। इस पर इन्होने रूपये देने के लिए इशारा किया तो मैं इन्हे 2000 रूपये देने लगा तो इन्होने इनकी टेबल पर फोल्ड कर रखे हुए सफेद कागज में रखने के लिए कहा और मैने रख दिये। इसी दौरान इन्होने मेरे से यह भी पूछा कि रंगे हुए तो नही हैं, जिस पर मैने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास नही है क्या।" परिवादी के उक्त कथन पर पटवारी श्री रामस्वरूप को पूछा तो बताया कि "देशराज कल शाम को मेरे पास आया था परन्तु शाम हो जाने से मैने कहा कि कल सुबह दस बजे आ जाना, तेरी नकले तैयार कर दूंगा। देशराज आज दिन में ढाई बजे आया। इसके द्वारा तहसीलदार को पेश प्रार्थना में चाहा गया रिकार्ड में खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही होने से मैने देशराज से खाता नम्बर पूछकर कम्प्यूटर से ऑन लाईन नकले निकालकर खाता नम्बर मिलान कर पुरानी जमाबंदी तैयार की जानी थी। इसी दौरान देशराज ने कुछ रूपये कम्प्यूटर टेबल पर रखे कागजो में दबा दिये। जबकि मेरे द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की गई ना ही ग्रहण की।" परिवादी के काम के संबंध में पूछने पर बताया कि "वर्तमान खसरो से वर्किंग नम्बर का मिलान तैयार किया जा चुका है के आधार पर पुराना रिकार्ड सही स्थिति में होने पर नकले तैयार करना संभव होगा तथा देशराज द्वारा रिकार्ड का अवलोकन करने पर नकले तैयार किया जाना आसानी से संभव होगा क्योंकि तहसील भिनाय का करीब करीब रिकार्ड जीर्ण–क्षीर्ण हो चुका हैं। आवेदको की मदद से वांछित दस्तावेजो की नकले तैयार की जाती हैं।" पटवारी को परिवादी के प्रार्थना पत्र के संबंध में पूछा तो बताया कि "प्रार्थना पत्र तो मुझे तहसीलदार ने दिनांक 20.03.23 को दे दिया था परन्तु आवेदक देशराज की मदद के बिना नकले तैयार करना संभव नही था तथा कुछ दिन में कैम्पों मे तथा हड़ताल में व्यस्त रहने के कारण नकले तैयार नही हो सकी।" इस पर गवाह श्री हंसराज से पटवारी की टेबल पर रखे हुए सफेद कागज को खोलकर देखने की कहने पर उसमें 500–500 रूपये के नोट दिखायी दिये, जिन्हे गवाह श्री हसंराज से उठवाकर दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 4 नोट कुल 2,000 रूपये होना बताया, जिस पर नोटो का मिलान पूर्व मे मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना गवाहान द्वारा बताया गया। उक्त नोट गवाह श्री हंसराज के पास रखवाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उक्त कक्ष में रखी पानी की बोतल मे से गिलास को धुलवाया जाकर कांच के गिलास मे साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री रामस्वरूप के सामने स्थित कम्प्यूटर टेबल पर रखे सफेद फोल्ड कागज में से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उस कागज को रूई के फौंहे से रगड़कर रूई के फौंहे को सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी झाईनुमा होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शीशीयो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः के 1, के 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् बरामदशुदा 500–500 रूपये के नोटो को पुनः फर्द

पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो का मिलान हुबहु होना पाया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि के 2000 रूपये को एवं जिस सफेद कागज में से रिश्वत राशि बरामद हुई को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। पटवारी श्री रामस्वरूप को फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रूबरू गवाहान पढवाई गई तो आरोपी ने उक्त फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट में परिवादी से वार्ता होना एवं स्वयम् द्वारा परिवादी की नकले तैयार करने से संबन्धित काम की बात करना स्वीकार किया। रिश्वत राशि मांग के संबंध में पूछने पर चुप रहा। आरोपी पटवारी श्री रामस्वरूप को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पूछा तो अपनी टेबल की दराज से परिवादी देशराज द्वारा दिनांक 20.03.23 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही निकालकर प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया गया तो प्रार्थी श्री देशराज ने अपने गांव झबरकिया, पटवार हल्का घणा के खाता संख्या 60, 62, 206 के चौसला मिलान, चौसला जमाबंदी, वर्किंग जमाबंदी, 1359 फसली जमाबंदी की प्रतिलिपि चाहे जाने हेतु आवेदन किया हुआ हैं। उक्त मूल ही आवेदन की एक फोटो प्रति करवाकर मूल आवेदन पत्र पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा फोटो प्रति सुश्री स्वीटी शाक्य, सूचना सहायक, तहसील कार्यालय भिनाय, जिला अजमेर मो.नं. 9636218891 को उपलब्ध करवायी गई। लेन–देन के समय वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो आरोपी पटवारी श्री रामस्वरूप ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज श्री देशराज की होना बताया। घटना स्थल का नक्शा मौका फर्द पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी को जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस, मय आरोपी श्री रामस्वरूप, स्वतन्त्र गवाहान एवं एसीबी स्टॉफ मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिंटर के प्राईवेट वाहनो से बान्दनवाड़ा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अजमेर पहुँचे। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। दिनांक 04.05.2023 को रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं दो सीडी तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थेली मे सील्ड किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रामस्वरूप पटवारी, लीव रिजर्व तहसील भिनाय, जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री देशराज जाट से उसके पिता एवं उसके दादाजी के नाम गांव झबरकिया, पटवार हल्का घणा मे स्थित जमीन खाता संख्या 60, 62, 206 के चौसला मिलान, चौसला जमाबंदी, वर्किंग जमाबंदी, 1359 फसली जमाबंदी की प्रतिलिपि देने की एवज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 10.04.23 को परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त सत्यापन 1000 रूपये प्राप्त करना एवं शेष राशि 2000 रूपये लेना तय कर दिनांक 03.05.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही अपनी मांग के अनुसरण में 2000 रूपये रिश्वत राशि अपनी टेबल पर रखे सफेद कागज में परिवादी से रखवाकर प्राप्त करना, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी के टेबल पर रखे सफेद कागज, जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाईनुमा आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री रामस्वरूप जाट, लीव रिजर्व पटवारी तहसील भिनाय, जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(मीरा बेनीवाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामस्वरूप जाट, हाल पटवारी लीव रिजर्व तहसील कार्यालय भिनाय, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 106/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

04/5/23

(कालूराम रोबत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 806-09 दिनांक 04.05.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. कलक्टर, जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

04/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।